06/05/25 पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उप.।
अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दिलवाई जाकर पत्रावली में शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मौजा डबाल पटवार मण्डल डबाल में प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी भूमी खेत खसरा नं. 1041 रकबा 0.76 हेक्टेयर, ख.नं. 986 रकबा 2.82 हेक्टेयर, कुमले रकबा 3.58 हेक्टेयर पुश्तैनी पैतृक आराजी आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा आया हुआ है। अप्रार्थी सं. 05 ने अपने जायज जरूरत रकम की [illegible] मुझ प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
R.P.O.

Scanned with OKEN Scanner

1/4 हिस्सा जरिये बैचान इकरारनामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाया। तथा बैचान दस्तावेज निष्पादित हेतु आश्वासन दिया। तथा आदिनांक बैचान दस्तावेज नहीं करवाया तथा प्रार्थी को रोजाना धमकी दे रहे है कि यहां पर तेरा कोई खेत नहीं है, यहां से कब्जा खाली करो वरना लाठी डंडे के बल पर बाहर कर देंगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने पुश्तैनी हक हिस्से व खरीदसुदा हिस्से से जबरन बेदखल करना चाहते है। जिसे रोका जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमावें।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नं. 1041 रकबा 0.76 हेक्टेयर भूमी वादी अकेले के बंट में कतई नहीं आयी हुई है, जबकी उक्त भूमी प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे की आयी हुई है। प्रार्थी ने [illegible] अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया, जो मय खर्चा खारीज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन किया तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। —: आदेश :— अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा उबाल के आराजी खसरा नं. 1041 रकबा 0.76 हे., खसरा नं. 986 रकबा 2.82 हे. जुमले रकबा 3.58 हेक्टेयर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी), सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner